कार्यालय परियोजना अधिकारी

एकीकृत बाल विकास परियोजना सुकमा जिला–सुकमा (छ0ग0)

Email Address:- cdposukma@gmail.com Phone No.07864299310

क्रमांक/ 412 /मबावि/स्था0/2026–27 सुकमा,दिनांक 30/12/2026

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर के पत्र कमांक/728/1098/2008/म.बा.वि./50 रायपुर दिनांक 02.04.2008 के तहत् एकीकृत बाल विकास परियोजना सुकमा अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का पद पूर्ति हेतु महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन दिनांक 30/12/2026 से 13/1/2026 तक ऑनलाईन आवेदन इस लिंक https://aww.e-bharti.in/ के माध्यम से किया जा सकता है।

क्र.	सेक्टर	ग्राम पंचायत	ग्राम	केन्द्र का नाम	पद का नाम	रिमार्क
1	केरलापाल	केरलापाल	केरलापाल	गायतापारा	आंगनबाड़ी सहायिका	–
2	गादीरास	गादीरास	गादीरास	गादीरास	आंगनबाड़ी सहायिका	–

नियम एवं शर्ते :–

1. कार्यकर्ता/सहायिका का पद मानसेवी है, शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह देय होगा।
2. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य से होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की तिथि से की जावेगी। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी।
3. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवेदिका जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हो उसकी राजस्व ग्राम की निवासी होना अनिवार्य है।
4. स्थायी निवासी होने के संबंध में ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदिका को आवेदन पत्र में मतदाता सूची का सरल कमांक उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। साथ में मतदाता सूची छायाप्रति आवेदन में संलग्न करना होगा, अथवा ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास संबंधित विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
5. कार्यकर्ता पद हेतु आवेदिका का अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 12 वीं होगी। उपरोक्तानुसार आवेदिका नहीं मिलने पर शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर समिति द्वारा निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता शासन द्वारा निर्देशानुसार मान्य होगी।
6. सहायिका पद हेतु आवेदिका का शैक्षणिक योग्यता 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य। आठवीं उत्तीर्ण कोई भी आवेदिका नहीं मिलने पर शिथिल मानकर समिति द्वारा निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी।
7. यदि आवेदिका निर्धारित पद के लिए अनुभव रखती हो तो तथा विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा हो तों नियमानुसार जारी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। प्रमाण पत्र संलग्न कर दावा किये जाने पर शासन द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अंक दिया जावेगा।

8. आवेदन के साथ अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता एवं आयु प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित 12 वीं,11वीं बोर्ड 10 वीं,5 वीं दाखिला-खारिज की छायाप्रति) निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) विधवा प्रमाण पत्र(पति की मृत्यु प्रमाण पत्र)परित्यकतता प्रमाण पत्र(न्यायलय द्वारा जारी तलाक प्रमाण पत्र अथवा सरपंच/सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर जारी पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित परित्यकतता प्रमाण पत्र।

9. यदि आवेदिका गरीबी रेखा के नीचे जीवन यपन करने वाले परिवार के अंतर्गत आते हो तो (प्रभावशील सूची से) मुख्य कार्यापालन अधिकारी/मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, कार्यानुभवी होने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा।

10. जिन प्रमाण पत्रों के आधार पर अंक प्रदाय करते हुए प्रावधिक चयन सूची जारी की जानी है, समस्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न करने पर ही मान्य किया जावेगा। चयन प्रकिया प्रारंभ होने के पश्चात अंकों से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

11. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित **अंक सूची ग्रेडेशन** होने पर जारीकर्ता द्वारा जारी प्राप्तांक/पूर्णांक व प्राप्त प्रतिशत स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्न करना आनिवार्य है। अन्यथा समिति द्वारा निर्णय मान्य होगा।

12. अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा शासन से प्राप्त निर्देशानुसार/ आवश्यकता अनुसार विज्ञापन में संशोधन किया जा सकता है।

13. सहायिका पद हेतु कक्षा 8 वीं ,05 वी का अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य है। नियमानुसार पूर्णांक व प्राप्तांक अंकित नही होने होने पर आवेदन पर विचार नही किया जावेगा।

परियोजना अधिकारी
एकी0 बाल विकास परि0सुकमा
जिला-सुकमा (छ0ग0)

पृ0क0/ 412 /मबावि/स्था0/2026-27 **सुकमा,दिनांक** 30/10/2026

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायत सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. जनपद पंचायत अध्यक्ष सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
5. जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सुकमा को ओर सादर सूचनार्थ।
6. संबंधित जनपद सदस्य को सुचनार्थ।
7. सरपंच/सचिव की ओर सूचना पट्ल पर चस्पा हेतु।
8. सेक्टर पर्यवेक्षक को सादर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

परियोजना अधिकारी